रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

SECRETARIAT LIBRARY 14/8/93

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1993 (श्रावण 9, 1915)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1993 (SRAVANA 9, 1915)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	621
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	823
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1381
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	723
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	539
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	13871
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	101
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	

*छोड़े प्राप्त नहीं

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	691
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	823
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1381
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts Published in Section 1 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	723
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	539
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	13871
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies.	101
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	*

*FolioNos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1993

संकल्प

सं० 17/38)/कॉम्प/93—प्रस्तावना—भारत सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित अपनी दिनांक 22 फरवरी, 1993 की अधिसूचना सं० 17(38)कॉम्प/93 के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजनाओं के विभिन्न घटकों को समेकित करके अधिसूचित किया था। नीतियों तथा कार्यविधियों में कुछ परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप जिसमें उद्योग मंत्रालय द्वारा नई अन्तर्मंत्रालयी स्थायी समिति का गठन शामिल है, दिनांक 22 फरवरी, 1993 की अधिसूचना सं० 17 (38)/कॉम्प/93 में निम्नलिखित संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। तदनुसार, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं :

2.0 अधिसूचना के पैरा 2.3 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

2.3 यह योजना इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के संबंधित निदेशकों के माध्यम से चलाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नामक एक संस्था के भाग हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाई स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर परियोजना के ब्यौरों सहित निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन-पत्र सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कॉम्प्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे आवेदन-पत्रों पर सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में उद्योग मंत्रालय की दिनांक 22 फरवरी, 1993 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 117 ई० के द्वारा अधिसूचित तथा इसके पश्चात 2 मार्च, 1993 को संशोधित और भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए गठित अन्तर्मंत्रालयी स्थायी समिति (आई० एम० एस० सी०) द्वारा विचार किया जाएगा।

3.0 पैरा 2.7.2 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

2.7.2 : विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के फलस्वरूप, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी० टी० ए०) में की जाने वाली आपूर्ति को भारत में खरीदा हुआ नहीं माना जाएगा।

4.0 व्यापार के क्षेत्र में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता होने के कारण चूंकि विद्यमान पैरा 2.8.3 अब और वैध नहीं है, अत: उसे एतद्द्वारा मिटा दिया जाता है।

5.0 चूंकि विदेशी पूंजीनिवेश के लिए एफ० आई० पी० बी० का अनुमोदन आवश्यक है; अत: पैरा 2.8.4 को निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

2.8.4 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाई के मामले में 100% तक विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते इसके लिए एफ० आई० पी० बी० का अनुमोदन प्राप्त हो।

6.0 "विदेशी-मुद्रा के व्यय" शब्द के संबंध में संदेह दूर करने की दृष्टि से, पैरा 2.11 में उल्लिखित "अर्जित शुद्ध विदेशी-मुद्रा" की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषा होगी :

"इस प्रयोजन से अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को सॉफ्टवेयर निर्यात के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा की आमदनी के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारत में इसके प्राधिकृत डीलर द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा के खर्च के रूप में घटाया जाएगा, जो आरम्भिक हार्डवेयर तथा/अथवा सॉफ्टवेयर के आयात के प्रयोजन से होने वाले व्यय से भिन्न हो।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

नी० गोपालस्वामी,
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1993

संकल्प

विषय :- राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर० जी० एन० आई० वाई० डी०) की स्थापना।

सं० एफ० 15-1/92-वाई०एस०-V--जबकि सरकार ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस करती है जो युवा कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यान्वयन कार्यनीतियों के लिए एक संसाधन एजेंसी और बौद्धिक भण्डार के रूप में कार्य करेगा।

और जबकि सरकार ने एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की है जो युवा कार्यकर्त्ताओं का कार्य-कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का दायित्व ले सके।

और जबकि राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति के विकास के लिए अपने कार्यक्रमों और कार्यों को सम्बद्ध कर सके और युवा विस्तार परियोजनाओं और योजनाओं को बढ़ावा दे सके जो युवा कार्य के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सके।

और जबकि देश में 15-35 वर्ष की आयु वर्ग की युवा जनसंख्या बढ़ कर अब कुल जन संख्या का एक-तिहाई भाग हो गई है और विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है।

और जबकि अब युवाओं के लिए कार्यान्वित किए जा रहे युवा कार्यक्रमों के विकास, सुधार तथा उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है;

और जबकि सरकार को संतुष्टि है कि उद्देश्यों की बेहतर पूर्ति आवश्यक संसाधनों और संकाय सहित राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के जरिए की जा सकेगी और इस प्रयोजनार्थ; सोसायटीज अधिनियम, 1860 के अधीन स्वायत्त सोसायटी ही श्रेष्ठ एजेंसी होगी।

अतः एतद्द्वारा यह संकल्प लिया गया है :

(1) एक राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान होना चाहिए जिसका मुख्यालय श्री पेरूमबुदूर, तमिलनाडु में होगा। संस्थान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान होगा (आर० जी० एन० आई० वाई० डी०), (जो तत्पश्चात् संस्थान के नाम से जाना जाए)। संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

(क) उपर्युक्त प्रशिक्षण और विग्विन्यास कार्यक्रम तैयार करना, उनका विकास करना और आयोजित करना;

(ख) कार्यक्रम विकास परियोजनाओं का प्रायोजन, प्रोत्साहन और अनुसंधान, मूल्यांकन करना;

(ग) युवाओं से संबंधित विषयों पर सेमीनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन;

(घ) युवा कार्य, युवा प्रशिक्षण और विस्तार आदि पर प्रलेखन, सूचना और प्रकाशन सेवाओं का विकास;

(ङ) युवा कार्य और युवा संगठनों पर प्रायोगिक और विस्तार केन्द्र शुरू करना;।

(च) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्रदत्त युवाओं पर सभी पहचाने गये प्रशिक्षण, दिग्विन्यास तथा अनुसंधान केन्द्रों के लिए एक अग्रिम केन्द्र और शीर्ष एपेक्स/निकाय के रूप में कार्य करना;

(छ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लिए बने आई० डी० ए० आर० ए० एस० तथा एन० एस० एस० के टी० ओ०सी०/टी० ओ० आर० सी० के लिए समन्वय केन्द्रों और संसाधन एजेंसी के रूप में विकास;

(ज) एन० एस० एस० और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रमुख कार्मिकों का प्रशिक्षण और दिग्विन्यास;

(झ) युवाओं के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के युवा कार्य करने वालों के व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने और दिग्विन्यास में सहायता देना;

(ञ) युवा संबंधित नीतियां तैयार करने और युवा कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु तकनीकी सलाह और परामर्श देना;

(ट) विभाग और अन्य विकासात्मक एजेंसियों द्वारा प्रायोजित युवाओं से संबंधित परियोजनाओं और अध्ययनों का आयोजन और समन्वय;

(ठ) संस्थान के नियमों और विनियमों के अनुसार संस्थान में शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय तथा अन्य पद सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ड) संस्थान के कार्य संचालन के लिए नियम और विनियम बनाना, और समय-समय पर उनके वृद्धि, संशोधन, परिवर्तन या निरस्त करना;

(ढ) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी शर्तों पर संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान राशि, प्रतिभूति या किसी प्रकार की सम्पति को स्वीकार करना और किसी धर्मार्थ ट्रस्ट कोष या दान को निरन्तर स्वीकार करना;

(ण) संस्थान की कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार संस्थान के कोष का निवेश और इससे संबंधित कार्यवाही करना;

(त) संस्थान के उद्देश्यों के लिए अपेक्षित खरीदारी, किराए पर, पट्टे पर, विनिमय या अन्यथा चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और किसी भी भवन या भवनों को निर्मित करना, परिवर्तन या रख-रखाव करना;

(थ) संस्थान को बेचना, किराए पर देना, पट्टे पर देना, आदान–प्रदान या अन्यथा स्थानान्तरण या निपटान करना बशर्ते कि अचल सम्पत्ति के स्थानान्तरण की पूर्व अनुमति लिखित रूप में भारत सरकार से ले ली गई हो ;

(द) एक कोष का अनुरक्षण जो संस्थान में निहित होगा ;

(ध) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों, केन्द्रों, संस्थाओं तथा युवा प्रशिक्षण और युवा विकास से संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग ;

(न) संस्थान के उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए लाभप्रद या अनुषंगिक ऐसे अन्य सभी विधि-संगत कार्य करना, सहायता करना और प्रोत्साहित करना ;

(2) संस्थान समितियां पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी होगी और इसका प्रबंध कार्यकारी परिषद जिसमें सोसायटी के पहले सदस्य शामिल होंगे को तब तक के लिए सौंपा जाएगा जब तक कि संस्थानक प्राधिकरण पूर्ण रूप से गठित नहीं हो जाता । संस्थान का एक सलाहकार बोर्ड भी होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	:	अध्यक्ष (पदेन)
(ख) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार	:	उपाध्यक्ष
(ग) संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार	:	सदस्य
(घ) कार्यक्रम सलाहकार (एन० एस० एस०) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार	:	सदस्य
(ङ) वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	:	सदस्य
(च) भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों, प्रत्येक से एक प्रतिनिधि		
(i) शिक्षा विभाग	:	सदस्य
(ii) महिला और बाल विकास विभाग	:	सदस्य
(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय	:	सदस्य
(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	:	सदस्य
(v) सूचना और प्रसारण मंत्रालय	:	सदस्य
(vi) पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव मंत्रालय	:	सदस्य
(vii) श्रम मंत्रालय	:	सदस्य
(viii) कल्याण मंत्रालय	:	सदस्य
(छ) सलाहकार योजना आयोग (शिक्षा/युवा)	:	सदस्य
(ज) सी०ए०पी०ए०आर०टी० का प्रतिनिधि (लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी की प्रगति हेतु परिषद)	:	सदस्य
(झ) अध्यक्ष, भारतीय युवा छात्रावास संघ	:	सदस्य
(ञ) राष्ट्रीय आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड्स	:	सदस्य
(ट) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	:	सदस्य
(ठ) महानिदेशक, एन० सी० सी०	:	सदस्य
(ड) महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन	:	सदस्य
(ढ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से एक प्रतिनिधि	:	सदस्य

अन्य सदस्य :

(ण) समुदाय कार्य, प्रशिक्षण और विकास में विशेष अभिरुचि रखने वाला एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे

(त) महिला विकास में अनुभव और सुविज्ञता प्राप्त दो महिलाएं

(थ) चार गैर–सरकारी युवा संगठनों से चार प्रतिनिधि

(द) भारतीय खेल प्राधिकरण से एक नामित व्यक्ति

(ध) टी० ओ० सी०/टी० ओ० आर० सी०/आई डी०ए० आर०ए० से बारी-बारी से एक प्रतिनिधि

(न) राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के संकाय से दो प्रतिनिधि जिन्हें कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा

(प) कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य (उपर्युक्त को शामिल नहीं करेंगे)

(फ) संस्थान के रजिस्ट्रार

(ब) संस्थान का निदेशक : सदस्य सचिव

सलाहकार बोर्ड को समय–समय पर समुचित अवधि के लिए ऐसे अन्य संगठनों अथवा संस्थानों से प्रतिनिधियों और ऐसे व्यक्तियों, जैसा वे संस्थान के हित में उचित समझते हैं, का चयन करने का अधिकार प्राप्त होगा । मद (न) के अन्तर्गत नामित व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी नामांकन अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे ।

3. संस्थान का प्रशासन कार्यकारी परिषद् द्वारा संस्थान नियमों और विनियमों एवं आदेशों के अनुरूप किया जायेगा जिसकी संरचना निम्न प्रकार होगी :

(क) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली : अध्यक्ष

(ख) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भारत सरकार : उपाध्यक्ष (पदेन)

सदस्यगण :

(ग) संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार

(घ) निदेशक, आर० जी० एन० आई० वाई० डी०

(ङ) कार्यक्रम सलाहकार (एन० एस० एस०), युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार

(च) वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार

(छ) चार आर० जी० एन० आई० वाई० डी० प्रभागों के संकाय से एक प्रतिनिधि (बारी-बारी से)

(ज) युवा महिला के विकास में पर्याप्त अनुभव और सुविज्ञता प्राप्त एक महिला जिसका अध्यक्ष द्वारा नामांकन किया जायेगा।

(झ) अग्रणी युवा संगठनों (एन०जी० ओ०) से एक प्रतिनिधि जिसका अध्यक्ष द्वारा नामांकन किया जायेगा।

(ञ) युवा क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से एक प्रतिनिधि जिसका नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(ट) युवा/समुदाय कार्य से सम्बद्ध एक विशेषज्ञ जिसका नामांकन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(ठ) टी० ओ० सी०/टी० ओ० आर० सी०/आई० डी० ए० आई० ए० से एक प्रतिनिधि जिसका नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(ड) संस्थान का रजिस्ट्रार

संस्थान का रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद् के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष किसी विशेष बैठक अथवा बैठकों के लिए किसी संगठन अथवा मंत्रालय के किसी भी प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का चयन कर सकता है, यदि और जब अध्यक्ष ऐसा करना जरूरी अथवा वांछनीय समझता है।

4. संस्थान के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी और वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार नियमों के अनुसार नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार, उप कार्यक्रम सलाहकार और एन० एस० एस० वेतन और लेखा सैल के प्रधान संस्थान के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे, जब तक नियमों के अनुसार नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं होती अथवा अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो।

5. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, संस्थान की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की कार्यावधि 3 वर्ष होगी अथवा जब तक उत्तराधिकारी का पुनर्चयन अथवा पुनर्नामांकन नहीं होता, दोनों में से जो भी बाद में हो। तथापि, सदस्य दो क्रमिक अवधियों के लिए पुनर्चयन अथवा पुनर्नामांकन के पात्र होंगे, यदि बोर्ड का कोई सदस्य पद पर रहने की वजह से सदस्य बनता है। ऐसी सदस्यता समाप्त मानी जायेगी, यदि वह व्यक्ति उस पद पर नहीं बना रहता है।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य उस अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जैसा कि उनकी नियुक्ति के समय निर्धारित किया जायेगा अथवा समय-समय पर अवधि बढ़ाई जायेगी।

6. किसी भी समय संस्थान के अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष न रहने की अवस्था में, केवल भारत सरकार को ही ऐसी निबंधन और शर्तों पर एवं संस्थान के नियमों और विनियमों में दी गई अवधि के लिए नये अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार होगा।

7. संस्थान, भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार, जहां कहीं जरूरी है, अपने कार्यों को चलाने और अपने कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए नियम और विनियम तैयार करेगा।

8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का सम्पूर्ण वित्तीय पोषण भारत सरकार करेगी और इस प्रयोजनार्थ सरकार सहायता अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को भेजी जाए।

एस० वाई० कुरैशी,
संयुक्त सचिव,

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1993

संकल्प

सं० 12-19/92-आई० आर० डी०—राष्ट्रपति, आगामी एशियाई खेल, 1994 तथा ओलम्पिक 1996 तक व सहित अन्य सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी की देख-रेख के लिए एक समिति गठित करते हैं।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

1.	श्री मुकुल वासनिक	:	अध्यक्ष
2.	श्री बी० एन० भागवत	:	सदस्य (पदेन)
3.	ले० ज० एम० के० लाहिरि (सेवानिवृत्त)	:	सदस्य
4.	श्री बी० एस० ब्रेदी	:	सदस्य
5.	श्री मिल्खा सिंह	:	सदस्य
6.	श्री बी० वी० पी० राव	:	सदस्य
7.	श्री दिनेश खन्ना	:	सदस्य
8.	डा० केसी पिएस	:	सदस्य
9.	श्री एम० एस० सोमेय्या	:	सदस्य
10.	सुश्री इन्दू पूरी	:	सदस्य
11.	श्री बलबीर सिंह भाटिया	:	सदस्य
12.	श्री शान्ताराम आधव	:	सदस्य
13.	श्री सुब्रोतो दत्ता	:	सदस्य
14.	श्री सी० एस० प्रदीपक	:	सदस्य
15.	श्री सतपाल	:	सदस्य

2. इसके अतिरिक्त तीन सदस्य आई० ओ० ए० द्वारा नामांकित किए जाएंगे ।

3. समिति के कार्य, शक्तियां तथा दायित्व :

(क) समिति प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दल की तैयारी से संबंधित सभी मामलों पर सिफारिशें करने के लिए शक्ति सम्पन्न होगी ।

(ख) समिति और इसके सदस्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी प्रशिक्षण अथवा कोचिंग शिविर का दौरा कर सकेंगे ।

(ग) समिति अपने कार्यों को करने के लिए किसी को भी अपनी सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(घ) समिति कोरम, वोटिंग प्रणाली, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रक्रिया, उप समिति के गठन आदि के बारे में अपनी पद्धति और प्रक्रिया बना सकेगी।

बैठकों की अवधि :

हमारे दल की तैयारी में प्रगति की देख-रेख करने और विशेष सिफारिशें करने के लिए समिति की दो माह में एक बार बैठक होगी। अध्यक्ष के विवेकानुसार मुख्य समिति या इसकी उप समितियों की बैठकें अधिक बार भी हो सकेंगी। समिति की सेवा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की जाएगी ।

नियुक्ति की शर्तें :

(क) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक-भत्ता समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों और एस० आर० 190 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा ।

(ख) दौरे के समय सदस्य भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित सुविधाओं और गैस्ट हाऊसों में निःशुल्क आवास के हकदार होंगे ।

(ग) समिति तत्काल से कार्य करना आरम्भ कर देगी।

आदेश

आदेश है कि अधिसूचना की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रेषित की जाए तथा जन साधारण की सुविधा के लिए इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आशा स्वरूप
संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1993

सं० एफ०-16012/2/89-ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०) (.)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियम तथा विनियमावली के नियम 8 के अनुसरण, भारत सरकार एतद्द्वारा पंजाब सरकार के श्रम तथा रोजगार विभाग के सचिव को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से अगले वार्षिक चुनाव होने तक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की शासी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

पी० पी० पी० बाबू
श्रम तथा रोजगार सलाहकार

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

(ELECTRONIKI VIBHAG)

New Delhi, the 28th May 1993

RESOLUTION

No. 17(38)/Comp/93.—Preamble : The Government of India in the Department of Electronics had consolidated and notified the various constituents of the STP schemes vide Gazette Notification No. 17 (38)/Com/93 dated 22nd February, 1993. Consequent upon certain changes in policies and procedures including the setting up of a new IMSC by the Ministry of Industry, the following modifications have become necessary in the Notification No. 17(38)/Com/93 dated 22-2-1993. Accordingly, the following amendments are hereby notified :

2.0 Para 2.3 of the Notification shall be replaced by the following :

2.3 : The scheme is administered by the Department of Electronics, Government of India through Directors of respective Software Technology Parks which form part of the Software Technology Parks of India, a society established by the Department of Electronics, Government of India and registered under the Society Registration Act 1860. An application in the prescribed format for establishing a Software Technology Park unit is to be submitted to the Chief Executive of Software Technology Park Complex alongwith the details of the Software project. Such application will be considered by an Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) constituted under the chairmanship of Secretary, Department of Electronics, Government of India notified by the Ministry of Industry vide Notification No. SO 117 E dated 22-2-93 and subsequently amended on 02-03-1993 and published in Part II Section 3 Sub Section (ii) of the Extraordinary Gazette of India.

3.0 Para 2.7.2 shall be replaced by the following :

2.7.2 : Suppliies effected in Domestic Tariff Area (DTA) against payment in foreign exchange not purchased in India.

4.0 With full convertibility of the rupee on trade account, existing Para 2.8.3 being no longer valid is hereby deleted.

5.0 Since approval of the FIPB is required for foreign investment, Para 2.8.4 shall be replaced by the following paragraph :

2.8.4 : Foreign equity upto 100% is permissible in the case of STP unit subject to approval of FIPB.

6.0 For removal of doubt regarding the term "foreign exchange outflow" definition of "Net foreign exchange earned" in Para 2.11 shall be replaced by the following :

"Net foreign exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflow as a result of software export less foreign exchange outflow where foreign exchange has been released by RBI or its authorised dealer in India other than on account of initial hardware and/or software import".

ORDER

ORDERED that the above resolution be published in the Gazette of India. Ordered also that copy of the resolution is communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned.

N. GOPALASWAMI,
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS)

New Delhi, the 15th March 1993

RESOLUTION

Subject : Establishment of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD).

No. F. 15-1/92/YS.V.—WHEREAS the Govt. feels the need for setting up an organisation which would function as a Resource Agency and think-tank for youth programmes, policies and implementation strategies;

AND WHEREAS the Govt. has felt a need to have an organisation which can take the responsibility of imparting training to youth workers so as to increase their efficiency;

AND WHEREAS there is no national level organisation which can promote youth extension projects and schemes which can function as a laboratory for Youth Work and link its programme and functions for the promotion of the proposed National Youth Policy.

AND WHEREAS the youth population in the age group of 15—35 years in the country has been increasing and is now about one-third of the total population necessitating increased thrust on providing more opportunities to youth in different areas;

AND WHEREAS there is a growing need for developing, improving and broad-basing the youth programmes now being implemented for youth;

AND WHEREAS, the Govt. are satisfied that the objectives could best be achieved through the establishment of a national organisation with necessary resource and faculty and for this purpose, an autonomous society under the Societies Registration Act of 1860 would be the best agency.

It is, therefore, hereby resolved as follows :

(1) There should be a National Institute of Youth Development with its Headquarters at Sriperumbudur, Tamil Nadu. The name of the Institute shall be 'Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development' (RGNIYD), (here-in-after referred to as Institute'). The Institute shall have the following objectives :

(a) Design, develop and conduct appropriate training and orientation programmes;

(b) Sponsor, promote and conduct research, evaluation and programme development projects;

(c) Conduct Seminars, Workshops and Conferences on Youth-related issues;

(d) Develop documentation, information and publication services on Youth Work, Youth Training and Extension, etc.;

(e) Start applied and extension centres on Youth Work and Youth Organisations;

(f) Work as an advance centre and apex body for all the identified training, orientation and research centres on Youth, sponsored and aided by the Deptt. of Youth Affairs and Sports, Govt. of India;

(g) Develop as a co-ordinating centre and resource agency for the TOC/TORCs of NSS and JDARAs meant for the NYKS;

(h) Train and orient the key-personnel of the NSS and NYKS;

(i) Help in the orientation and upgrading of professional skills of the Youth functionaries of the Centre and the State Govt.s/UTs, Universities, NGOs working in the field of Youth;

(j) Provide technical advice and consultancy for formulation of Youth-related policy and promotion of Youth programes;

(k) Conduct and co-ordinate projects and studies relating to Youth, sponsored by the Department and other developmental agencies;

(l) Create academic, technical, administrative, managerial and other posts in the Institute and make appointment hereto in accordance with the rule and regulations of the Institute;

(m) Make rules and regulations for conduct of the affairs of the Institute and add to, amend, vary or rescind them from time to time;

(n) Accept grant of money, securities or property of any kind and undertake and accept the management of any endowment trust fund or donation consistent with the objects of the Institute, on such terms as may be prescribed by the Government of India from time to time;

(o) Invest and deal with the funds of the Institute in such a manner as may be determined by the Executive Council of the Institute from time to time;

(p) Purchase, hire, take on lease, exchange or otherwise acquire property, movable or immovable and to construct, alter and maintain any building or buildings as may be necessary for carrying out the objects of the Institute;

(q) Sell, hire, lease, exchange or otherwise transfer or dispose of the Institute provided that for the transfer of immovable property, prior approval in writing of Government of India is obtained;

(r) Maintain a 'Fund' which shall be vested in the Institute;

(s) Collaborate with regional, national and inter-national agencies, centres, institutions and such other agencies related to Youth Training and Youth Devlopment;

(t) To undertake, assist and promote all such other lawful deeds as are conducive or incidental to the attainment of the objectives and functions of the Institute.

(2) The Institute will be registered as a Society under the 'Societies Registration Act, 1860' and its management will be entrusted to a Executive Council consisting of the first Members of the Society until the authorities of the Institute are duly constituted. The Institute shall have an Advisory Board, which shall comprise the following :

Chairman (Ex-Officio)

(a) The Minister of State in-charge of Youth Affairs and Sports in Government of India.

Vice-Chairperson

(b) Secretary, Deptt. of Youth Affairs and Sports, Government of India.

Members

(c) Joint Secretary, Deptt. of Youth Affairs and Sports, Government of India.

(d) Programme Adviser (NSS), Deptt. of Youth Affairs and Sports, Govt. of India.

(e) Representative of Ministry of Finance.

Members

(f) One nominee from each of the following Ministries/Departments of the Government of India :

i. Deptt. of Education.

ii. Deptt. of Women and Child Development.

iii. Ministry of Rural Development.

iv. Ministry of Health and Family Welfare.

v. Ministry of Information and Broadcasting.

vi. Ministry of Environment, Forest and Wild Life.

vii. Ministry of Labour.

viii. Ministry of Welfare.

(g) Advisor, Planning Commission (Education/Youth).

(h) A representative of CAPART (Councill for Advancement of People's Action and Rural Technology).

(i) Chairman, Youth Hostel Association of India.

(j) National Commissioner, Bharat Scouts and Guides.

(k) Secretary, University Grants Commission.

(l) Director General, NDC.

(m) Director General, NYK Sangathan.

(n) One Representative from Central Social Welfare Board.

OTHER MEMBERS :

(o) One eminent educationist specially interested in Community Work, Training and Development to be nominated by the Chairperson.

(p) Two women with expertise and experience in Women Development.

(q) Four representatives from four Non-Government Youth Organisations.

(r) A nominee from Sports Authority of India.

(s) A representative from TOC/TORC/IDARAs by rotation.

(t) Two representatives from the National Instt. of Youth Development's Faculty to be nominated by the President, Executive Council.

(u) All Members of the Executive Council (not included above)

(v) Registrar of the Institute.

Member-Secretary

(w) Director of the Institute

The Advisory Board will have the power to co-opt from time to time for such period as they deem fit representatives of such other organisations or institutions and individuals as they deem proper in the interest of the Institute. All the nominations except under (l) will be made by the Chairperson.

(3) The Institute shall be administered subject to rules and regulations and orders of the Institute by an Executive Council whose composition shall be as follows :

President

(a) Minister of State in-charge of Youth Affairs and Sports, Government of India, New Delhi.

Vice-President

(Ex-Officio)

(b) Secretary, Deptt. of Youth Affairs and Sports, Government of India.

(c) Jt. Secretary, (Youth Affairs), Deptt. of Youth Affairs & Sports,

(d) Director, RGNIYD.

(e) Programme Adviser, (NSS), Deptt. of Youth Affairs and Sports, Government of India.

(f) Financial Adviser, Deptt. of Youth Affairs and Sports, Government of India.

(g) One representative from the Faculty of the four RGNIYD Divisions (by rotation).

(h) One woman with adequate experience and expertise in the development of young women to be nominated by the President.

(i) One representative from leading Youth Organisations (NGO) to be nominated by the President.

(j) One representative from National level Institute related to the field of Youth to be nominated by the Director.

(k) One expert in Youth/Community Work to be nominated by the President.

(l) One representative from TOC/ TQRC/IDARA to be nominated by the President.

(m) Registrar of the Institute.

The Registrar of the Institute shall function as the Member-Secretary of the Executive Council.

A representative or representatives of any organisation or Ministry may be co-opted by the President of the Executive Council for any particular meeting or meetings, if and when the President thinks necessary or desirable to do so.

(4) The Director of the Institute will be appointed by the Government of India and will function as the Chief Executive Officer. The Joint Secretary (Youth Affairs), Deptt. of Youth Affairs and Sports, Government of India shall function as the Director of the Institute in addition to his normal duties until a regular Director is selected as per rules. Similarly, the Dy. Programme Adviser and Head of NSS P.A. Cell, shall function as the Registrar of the Institute until a regular Registrar is selected as per rules or until further orders, whichever is earlier.

(5) The term of Members of the Executive Council of the Institute, apart from the President, the Vice-President and the Ex-officio Members, shall be 3 years or until the successors are re-elected or re-nominated, whichever is later. The Members, however, shall be eligible for re-election or re-nomination for two consecutive terms if a Member of the Board becomes a Member by reason of the office of appointment he/she holds, such a Membership shall terminate when the person ceases to hold that office of appointment.

Members appointed by the Government of India shall hold office for such period as may be specified by it at the time of their appointment or as may be extended by it from time to time.

(6) In th event of the first Chairperson ceasing to be the Chirperson of the Institute at any time, the Government of India alone shall have the right to nominate a new Chirperson of the Institute on such terms and conditions and for such period provided in the rules and regulations of the Institute.

(7) The Institute, subject to the approval of the Government of India, wherever necessary, shall make Rules and Regulations for the conduct of its business and the management of its affairs.

(8) The Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development will be fully funded by the Government of India and for this purpose, funds will be provided by the Government as grant-in-aid.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

S. Y. GURAISHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS)

New Delhi, the 7th April 1993

RESOLUTION

No. 12-19/92-IRD.—The President is pleased to constitute a Committee to monitor the preparations of the Indian contingent for the forthcoming Asian Games, 1994, and for all other major International tournaments upto and including the Olympic Games of 1996.

The Committee shall consist of the following members :—

Chairman

1. Shri Mukul Wasnik.

Member (Ex-Officio)

2. Shri B. N. Bhagwat.

Members

3. Lt. Gen. M. K. Lahiri (Retd).
4. Shri B. S. Bedi.
5. Shri Milkha Singh.
6. Shri B. V. P. Rao.
7. Shri Dinesh Khanna.
8. Dr. Vece Peas.
9. Shri M. M. Somayya.
10. Ms. Indu Puri.
11. Shri Balbir Singh Bhatia.
12. Shri Shantaram Jadhav.
13. Shri Subrotto Datta.
14. Shri C. S. Pradeepak.
15. Shri Satpal.

2. In addiion, three members will be nominated by the IAO.

3. FUNCTIONS, POWERS AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMITTEE

(a) The committee will be empowered to make recommendations on all matters pertaining to the preparation of our International contingents participating in major International tournaments.

(b) The Committee and its members may visit any training or coaching camp to evaluate the quality and progress of training.

(c) The committee may invite any one they wish to assist them in discharging their functions.

(d) The Committee may establish its own procedures and practices with regard to quorum, voting system, procedure in the absence of Chairman, establishment of Sub-Committee etc.

FREQUENCY OF MEETINGS

The Committee should normally meet once in two months to monitor the progress in the preparation of our Contingents, and to make specific recommendations. More frequent meetings of the main Committee, or of its Sub-Committee, may also be held at the discretion of the Chairman. The committee will be serviced by the SAI.

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT:

(a) TA & DA to non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of SR 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

(b) Members will be entitled for free accommodation in guest houses and facilities controlled by the SAI while on tour.

(c) The Committee shall commence functioning with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

ASHA SWARUP, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th July 1993

No. Q-16012/2/89-ESA(WE).—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominates the Secretary, Department of Labour & Employment, Government of Punjab, as a member of the Governing Body of Central Board for Workers Education with effect from the date of issue of this Notification till next annual election of the Governing Body.

P. P. P. BABU
Labour & Employment Adviser.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993